न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— संजना जोशी आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 178 / 2022

1. विजयपालसिंह उम्र 38 साल पुत्र श्री बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. अजयपालसिंह उम्र 36 साल पुत्र श्री बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

...... प्रार्थीगण

—:बनाम:—

1. अंग्रेजसिंह पुत्र चरणसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. गुरजीतसिंह पुत्र चरणसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. गुरदतसिंह पुत्र बगूसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. गुरमीतकौर पत्नी लखवीरसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. जगनन्दनसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. निर्मलजीतकौर पुत्री जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. निर्मलसिंह पुत्र पुर्णसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. मगंलसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. राजवीरकौर पुत्री जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. वीरसिंह पुत्र उजागरसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. सुखविन्द्रकौर पत्नी गुरदतासिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
12. सर्वजीतकौर पत्नी जसवीरसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
13. बिन्दरसिंह पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
14. बलकरणसिंह पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
15. जसकरणसिंह पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख निवासी सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
16. छिन्द्रपालकौर पुत्री जंगसिंह पत्नी गुरविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 12 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
17. कुलविन्द्रकौर पुत्री जंगसिंह पत्नी बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 12 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
18. बेअन्तकौर पुत्री जंगसिंह पत्नी अमृतपालसिह जाति जटसिख निवासी थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
19. आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क आर.टी.ए. बाबत् रास्ता स्वीकृति

निर्णय दिनांक :- 22.09.2023

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री संजीव आहूजा अधिवक्ता —— प्रार्थीगण
2. श्री जसपाल सिंह दहिया व मदनगोपाल मेहरड़ा अधिवक्ता —— अप्रार्थी सं. 3 व 11
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा —— अप्रार्थी सं. 20
4. शेष अप्रार्थीगण —— एक पक्षीय कार्यवाही

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 16 पी.बी.एन. के वर्तमान खाता संख्या 7/6 के प.न.18/308(42)के किला नम्बर 13/2/0.127, 14 ता 20/1.771, 21/1/0.228, 21/2/0.025, 22/1/0.228, 22/2/0.025, 23/1/0.228, 23/2/0.025, 24/1/0.228, 24/2/0.025, 25/1/0.228, 25/2/0.025 = 3.163 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 3.163 हैक्टेयर नहरी खातेदारी मय गैर मुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। जमाबन्दी चक नम्बर 16 पी.बी.एन खाता संख्या 7/6 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थीगण की भूमि तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 16 पी.बी.एन. के खाता संख्या 187/43 के प.न.17/309 (48) के किला नम्बर 6 ता 15 = 2.530 हैक्टयर, प.न. 18/308 (42) के किला नम्बर 1/1/0.215, 1/2/0.038, 2/1/0.215, 2/2/0.038, 3/1/0.215, 3/2/0.038, 4/1/0.215, 4/2/0.038, 5/1/0.215, 5/2/0.038, 6 ता 12/1.771, 13/0.126 = 3.162 हैक्टयर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। जमाबन्दी चक नम्बर 16 पी.बी.एन.के खाता संख्या 187/43 सलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीगण की भूमि चक नम्बर 16 पी बी एन के प.न. 18/308 (42) के किला नं. 13/2/0.127, 14 ता 20/1.771, 21/1/0.228, 21/2/0.025, 22/1/0.228, 22/2/0.025, 23/1/0.228, 23/2/0.025, 24/1/0.228, 24/2/0.025, 25/1/0.228, 25/2/0.025 = 3.163 हैक्टयर मे (जिसका विवरण प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की बिन्दू संख्या 2 मे किया है) में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि चक नम्बर 16 पी बी एन के प.न.18/308 (42) के किला न. 5–6 में से बजानिब पूर्व की ओर से प्रत्येक किला में से 0.018 हैक्टेयर, 0.018 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों किलो में से कुल 0.036 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। चूंकि उक्त रास्ता की प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिए पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है तथा यही रास्ता प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिए सुविधाजनक है तथा इसी रास्ता से होकर प्रार्थीगण काफी अरसा से अपनी भूमि में आते जाते रहे है तथा उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि उक्त अप्रार्थीगण के कब्जा कास्ता की भूमि में से प.न. 18/308 (42) के किला नम्बर 1 ता 5 मे से मन्जूर शुदा रास्ता है जो कि अन्य भूमि में आने जाने के लिए चक के तमाम का तकार उपयोग करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत हो जाने पर प्रार्थीगण भी अपने भूमि में ट्रैक्टर ट्राली व अन्य औजार ले जाकर तथा अपनी भूमि में सुविधा पूर्वक व आसानी से आ जा सकते है।

प्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 16 पी बी एन के प.न.18/308 (42) के किला नं. 5–6 में से बजानिब पूर्व की ओर से प्रत्येक किला में से 0.018 हैक्टेयर, 0.018 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों किलो में से कुल 0.036 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है तथा प्रार्थीगण उक्त रास्ता के बदले मे अप्रार्थीगण को अपनी भूमि में से भूमि देने या ताहम यदि न्यायालय हाजा आदेश फरमाये तो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित डी एल सी के मुताबिक राशि जमा करवाने के लिए तैयार व रजामन्द है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि में से रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए अप्रार्थीगण को कहा तो अप्रार्थीगण पहले तो आजकल –आजकल का बहाना बनाते रहे व 15 दिवस पूर्व रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड मे अकंन करवाने से साफ तौर से ईन्कार कर दिया बस यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस कारण भू–धारक अप्रार्थी संख्या 20 आवश्यक व अहम पक्षकार होने के कारण प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया गया है तथा उक्त भूमि मे से कुछ का तकारो का हिस्सा बैंक के हक में रहन दर्ज होने के कारण बैंक को भी पक्षकार बनाया गया है। यह

भूमि तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 16 पी बी एन में स्थित है इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है व प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 16 पी बी एन के प.न. 18/308 (42) के किला नम्बर 5–6 में से बजानिब पूर्व की ओर प्रत्येक किला मे से 0.018 हैक्टेयर, 0.018 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों किलो में से कुल 0.036 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड मे अकंन किये जाने के आदेश प्रदान करे।

तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक रीडर/2022/742 दिनांक 08.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता मौका पर चालू नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता में आने वाली भूमि के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प.नं. 18/308 के कि.नं. 5 में पूर्व से पश्चिम दिशा में गै.मु. रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व मौका पर चालू है। प्रार्थीगण इसी प.नं. के कि.नं. 5 व 6 में उत्तर–दक्षिण रास्ता चाहा गया है जो कि मौका पर घरेलू तौर पर चालू नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता से कम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

अप्रार्थी सं. 3 व 11 की ओर से श्री मदनगोपाल मेहरड़ा उपस्थित आये व 04.07.2023 को अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है व अन्य पक्षकारान के खिलाफ पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

–:: आदेश ::–

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट रीडर/2022/742 दिनांक 08.09.2022 व धारा 251 (क) के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक नम्बर 16 पी बी एन के प.न.18/308 (42) के किला नं. 5 – 6 में से बजानिब पूर्व की ओर से प्रत्येक किला में से 0.018 हैक्टेयर, 0.018 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों किलो में से कुल 0.036 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता की 5–6 की कुल 0.036 हैक्टेयर भूमि की एवज में भूमि की डी.एल.सी. दर का दोगुना राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करावें।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा आदेशानुसार राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करवाकर रास्ते की भूमि का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 22.09.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sanjana

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(संजना जोशी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा